

न्यायालय:- श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी (म.प्र.)

विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 18 / 2015
संस्थान दिनांक 28.02.2015

1. श्रीमती आसमां बी पति मोहम्मद सरफराज आयु 28 वर्ष
2. कु. सायमा पिता मोहम्मद सरफराज, आयु 6 वर्ष
व्यवसाय- अध्ययन, नाबालिक गार्जियन जनक माता
आसमां बी पति मोहम्मद सरफराज,

दोनों निवासीगण- व्यवसाय - कुछ नहीं,
निवासी- राजपुर, हाल मुकाम दादा मोहल्ला,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----प्रार्थीगण

वि रु द्ध

मोहम्मद सरफराज पिता मोहम्मद रफीक मंसूरी,
आयु 30 वर्ष व्यवसाय- व्यापार
निवासी- उत्कृष्ट कॉलोनी, बड़वानी रोड
राजपुर, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी म.प्र.

-----प्रतिप्रार्थी

// आ दे श //

// आज दिनांक 27.07.2015 को पारित //

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थीगण के आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 125 द.प्र.सं. दिनांक 28.02.2015 का निराकरण किया जा रहा है जिसके द्वारा प्रार्थी क्रमांक 1 श्रीमती आसमां ने स्वयं के भरण-पोषण हेतु 5,000/- (अक्षरी पाँच हजार रुपये मात्र) एवं प्रार्थी क्रमांक 2 सायमा के भरण-पोषण हेतु 3000/- (अक्षरी तीन हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह भरण-पोषण व्यय उसके पति प्रतिप्रार्थी मोहम्मद सरफराज से दिलवाये जाने का निवेदन किया है।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी क्रमांक 1 का विवाह आवेदन संस्थित करने के 5 वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति-रिवाज अनुसार हुआ था तथा प्रार्थी क्रमांक 2 प्रार्थी क्रमांक 1 की पुत्री है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रार्थीगण प्रतिप्रार्थी से पृथक निवास कर रहे हैं।

3. प्रार्थीगण का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि विवाह के कुछ समय तक तो प्रतिप्रार्थी एवं उसके परिवार ने प्रार्थी क्रमांक 1 को ठीक रखा उसके पश्चात् छोटी-छोटी बातों को लेकर प्रार्थी क्रमांक 1 के साथ तानाकशी करने लगे। प्रार्थी क्रमांक 2 का जन्म होने के बाद भी प्रतिप्रार्थी एवं उसके परिवार के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। प्रतिप्रार्थी एवं उसके परिवार वाले प्रार्थी क्रमांक 1 को परेशान करते थे तथा मारपीट व गाली-गलोच की जाती थी, लेकिन प्रार्थी क्रमांक 1 सभी दुखों को सहन करती थी तथा प्रतिप्रार्थी एवं उसके परिवार वालों के व्यवहार के बारे में अपने परिवार के लोगों को बताया, जिन्होंने कई बार प्रतिप्रार्थी एवं उनके परिवार के लोगों को समझाने का प्रयास किया फिर भी उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थीगण की ओर कोई ध्यान नहीं देकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं करता था। प्रार्थीगण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रतिप्रार्थी के घर रहकर बड़ी मुश्किल से कर रहे थे। प्रतिप्रार्थी के किसी अन्य महिला से संबंध थे इसलिए वह प्रार्थी क्रमांक 1 से कोई संबंध नहीं रखता था तथा उसका आचरण भी सही नहीं था तथा अन्य महिलाओं से संबंध होने के कारण कई बार लोगों ने उसके साथ सार्वजनिक रूप से मारपीट भी की थी। प्रतिप्रार्थी को जुआ एवं सट्टा खेलने की भी लत थी। वह अपनी आय का अधिकांश भाग जुआ एवं सट्टा खेलने में तथा दूसरी महिलाओं में लगा देता था। प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी क्रमांक 1 के आभूषण सोने के कंगन 2 तोला, मंगलसूत्र 1 तोला एवं सोने की अंगुठी 5 ग्राम अपने विलाशिता के लिए प्रार्थी क्रमांक 1 की जानकारी के बिना बैच दिये। प्रतिप्रार्थी के व्यवहार एवं उसकी आदतों में कोई सुधार की संभावना नहीं दिखने पर प्रार्थी क्रमांक 1 आवेदन के पेश करने के लगभग 14-15 माह पूर्व प्रार्थी क्रमांक 2 सहित अपने पिता एवं भाई के घर मजबूरीवश आकर रहने लगी थी। प्रार्थी क्रमांक 1 के पिता सेवानिवृत्त व्यक्ति है तथा भाई मजदूरी करता है। वे लोग बड़ी मुश्किल से प्रार्थीगण का खर्च उठा पाते हैं। प्रतिप्रार्थी प्रतिदिन हाट बाजार में जाकर रेडिमेट कपड़े का व्यापार करता है, जिससे वह 1000/- से 1500/- रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता है तथा माह में 30,000/- से 35,000/- रुपये की आय अर्जित कर लेता है जबकि प्रार्थी क्रमांक 1 ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है और ऐसा कोई कार्य भी नहीं जानती है, जिससे वह अपना तथा अपनी पुत्री का भरण-पोषण कर सके। प्रार्थी क्रमांक 1 को स्वयं के लिए 5000/- रुपये तथा प्रार्थी क्रमांक 2 के लिए 2000/- रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण की आवश्यकता है जो प्रतिप्रार्थी आसानी से अदा कर सकता है इसलिए प्रार्थीगण ने यह आवेदन पेश किया है। प्रार्थीगण ने उन्हें प्रतिमाह 8000/- रुपये दिलवाने की प्रार्थना की है।

4. प्रतिप्रार्थी की ओर से उक्त आवेदन का विरोध इस आधार पर किया गया है कि प्रार्थी क्रमांक 1 स्वयं बिना किसी कारण से प्रतिप्रार्थी से पृथक अपने पिता एवं भाई के साथ स्वैच्छया से निवास कर रही है। प्रार्थी क्रमांक 1 कक्षा 12 वीं तक पढ़ी-लिखी है और वह सिलाई का कार्य जानती है तथा अपना एवं अपनी पुत्री का भरण-पोषण कर सकती है। जबकि प्रतिप्रार्थी एक

मजदूरी पेशा व्यक्ति है और वह प्रतिदिन केवल 100/- रुपये कमाता है तथा बड़ी मुश्किल से अपना एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करता है उसे माह में कई दिनों तक कार्य नहीं मिलता है, इसलिए वह प्रतिमाह केवल रुपये 2000/- से 2500/- तक कमाता है। प्रतिप्रार्थी एवं उसके परिवार के मध्य प्रार्थीगण को अपने साथ ले जाने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन बिना किसी कारण के प्रतिप्रार्थी से पृथक निवास कर रही है।

5. विवाद के लगभग 1 माह बाद प्रतिप्रार्थी प्रार्थी को लेकर गांधी नगर गुजरात गया था जहाँ पर वह प्रायवेट नौकरी करता था तथा वह लगभग 6 माह तक दोनों गुजरात में रहे और प्रतिप्रार्थी से प्रार्थी यह कहती थी कि उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के बिना प्रतिप्रार्थी से विवाह कराया और वह प्रतिप्रार्थी को पसंद नहीं करती है। गुजरात जाने के बाद प्रतिप्रार्थी को उसके माता-पिता से पृथक रहने के लिए कहती थी, लेकिन प्रतिप्रार्थी उनसे पृथक नहीं होना चाहता था। प्रार्थी क्रमांक 1 प्रतिप्रार्थी के साथ छोटी-छोटी बातों पर विवाद करती थी और अपनी माता के यहाँ जाने को कहती थी। प्रार्थी क्रमांक 1 अत्यंत महात्वाकांक्षी महिला है और वह प्रतिप्रार्थी से प्रतिदिन नई-नई मांग करती थी, जैसे मोटरसाइकिल पर घुमना, होटल पर खाना खाने जाना आदि किन्तु प्रतिप्रार्थी अपनी हैसियत नहीं होने से उक्त मांगे पूरी नहीं कर पाता था। प्रार्थी क्रमांक 1 के उक्त व्यवहार की शिकायत प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी क्रमांक 1 के माता-पिता से कई बार की तब उन्होंने कहा कि “धीरे-धीरे सब ठीक हो जायेगा।” प्रतिप्रार्थी एक सीधा-साधा व्यक्ति है और उसने प्रार्थीगण को वापस लाने के लिए महिला हेल्प लाईन जिला बड़वानी में लिखित आवेदन दिया था जहाँ से प्रार्थी क्रमांक 1 को सूचना पत्र भेजे जाने के बाद भी प्रार्थी क्रमांक 1 वहाँ पर उपस्थित नहीं हुई। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी क्रमांक 1 स्वैच्छया से बिना किसी कारण प्रतिप्रार्थी से पृथक निवास कर रही है। इस कारण वह किसी प्रकार से भरण-पोषण पाने की अधिकारी नहीं है। चूँकि प्रार्थी क्रमांक 1 स्वयं का एवं उसकी पुत्री का भरण-पोषण करने में सक्षम है, इसलिए भरण-पोषण पाने की अधिकारी नहीं है। प्रतिप्रार्थी ने उनका आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

6. प्रकरण में विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं :-

1. क्या प्रार्थी क्रमांक 1 प्रतिप्रार्थी से पर्याप्त कारणों से पृथक निवास कर रही है ?
2. क्या प्रार्थीगण स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है ?
3. क्या प्रतिप्रार्थी प्रार्थीगण का भरण-पोषण करने में सक्षम है ?
4. क्या प्रार्थीगण प्रतिप्रार्थी से प्रतिमाह भरण-पोषण राशि पाने की अधिकारी है ? यदि हाँ तो किस दर से ।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 4 के संबंध में

7. प्राथीगण की ओर से अपने आवेदन पत्र के समर्थन में स्वयं प्राथीगण श्रीमती आसमां (आ.सा.1) तथा अपने चाचा नसीम आ.सा. 2 के भी कथन कराये हैं जबकि प्रतिप्रार्थी की ओर से स्वयं प्रतिप्रार्थी स्वयं (अना.सा.1) तथा अपने पिता मोहम्मद रफीक (अना.सा.2) के कथन कराये गये हैं। प्रार्थी क्रमांक 1 आसमां (आ.सा.1) ने अपने कथन में बताया कि निकाह के बाद वह अपने पति के साथ रही थी और उसके पति से उसे एक पुत्री प्राप्त हुई थी, जिसका नाम सायमा है। विवाह के बाद उसका पति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। प्रतिप्रार्थी उसके साथ गाली-गलोच करता था और उसका एवं उसकी पुत्री का ध्यान नहीं रखते थे। उसका पति उसके साथ मारपीट भी करता था तथा उसके प्रति अश्लील शब्दों का भी उपयोग करता था। उसकी पुत्री के जन्म के बाद प्रतिप्रार्थी एवं उसके मात-पिता ने उसकी पुत्री पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सारी घटना प्रतिप्रार्थी के माता पिता और अपने माता-पिता को बताई थी। उसके माता-पिता ने प्रतिप्रार्थी के माता-पिता को समय-समय पर समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रतिप्रार्थी के कई महिलाओं के साथ संबंध थे, इसलिए प्रतिप्रार्थी उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाता था। प्रतिप्रार्थी को जुआ-सट्टा खेलने की भी आदत थी। प्रतिप्रार्थी ने विवाह के समय उसके मायके द्वारा दिये गये सोने की अंगुठी लगभग 5 ग्राम, सोने के कड़े लगभग 2 तोले एवं मंगलसूत्र को बैच दिये थे और जब प्रतिप्रार्थी के व्यवहार में कोई सुधान नहीं हुआ तो वह अपनी पुत्री को लेकर अपने मात-पिता के यहाँ चली गई। उसके पिता पेंशनर है तथा भाई मजदूरी करता है तथा वह कोई कार्य नहीं करती है। वह तथा उसकी पुत्री का खर्च उसके पिता एवं भाई नहीं उठा रहे हैं। उसे अपने एवं अपनी पुत्री के लिए प्रतिमाह 8000/- रुपये की आवश्यकता है। प्रतिप्रार्थी रेडिमेट कपड़ों का व्यापार करता है तथा फेरी लगाकर उसे प्रतिदिन 1000/- रुपये की आय प्राप्त होती है। प्रतिप्रार्थी प्राथीगण का भरण-पोषण करने में सक्षम है।

8. प्रतिप्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में प्रार्थी क्रमांक 1 ने स्वीकार किया कि वह विवाह के बाद अपने पति के साथ गुजरात गई थी तथा उसके पति का मकान राजपुर में पक्का बना हुआ है। उसका राजपुर में राशन कार्ड बन गया था जो गरीबी रेखा से नीचे था, लेकिन प्रार्थी क्रमांक 1 ने इस सुझाव से इंकार किया कि जिनकी आय कम होती है उनका ही गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड बनता है। प्रार्थी ने स्पष्ट किया कि राशन कार्ड काफी पूर्व बन चुका था। उसके पति के पास साईकिल एवं मोटरसाईकिल नहीं है लेकिन परिवार में मोटरसाईकिल है। उसका पति जब गुजरात में था तब वह सिलाई करता था। वह अपने पति के साथ लगभग 1 वर्ष तक गुजरात में रही थी। गुजरात से लौटकर वह अपने माता-पिता के पास राजपुर में रहती थी। प्रार्थी ने

इस सुझाव से इंकार किया कि उसका विवाह प्रतिप्रार्थी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था अथवा वह अपने प्रति को पसंद नहीं करती थी अथवा वह अपने पति के माता-पिता से बुरा व्यवहार करती थी। प्रार्थी क्रमांक 1 ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अपने माता-पिता के यहाँ अकेले आ जाती थी और पहले भी एक-दो बार मायके में रुक गई थी। प्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अपने पति से मोटरसाईकिल से घुमाने की बात करती थी और उसे मोटरसाईकिल पर नहीं घुमाते थे, तो वह प्रतिप्रार्थी के माता-पिता से विवाद करती थी। प्रार्थी क्रमांक 1 ने इस सुझाव से इंकार किया कि अधिवक्ता श्री गनी एवं समाज के अन्य लोग उसे लेने के लिए आये थे। प्रार्थी ने स्वीकार किया कि प्रतिप्रार्थी ने उसे ले जाने के लिए महिला परामर्श केन्द्र बड़वानी में आवेदन दिया था, लेकिन वह वहाँ नहीं गई। प्रार्थी ने स्पष्ट किया कि प्रतिप्रार्थी का व्यवहार अच्छा नहीं था और उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। प्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अपने पति से अधिक पढ़ी-लिखी है, इस कारण वह अपने पति से विवाद करती है।

9. प्रार्थी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसके पास सिलाई का डिप्लोमा है एवं सिलाई करके प्रतिदिन 300/- रुपये की आय अर्जित कर लेती है। प्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 1000/- रुपये कमाता है, वह मजदूरी करने गुजरात नहीं जाता। प्रार्थी ने स्पष्ट किया कि पहले आय का कोई साधान नहीं था, स्वतः कहा कि प्रतिप्रार्थी 1000/- रुपये प्रतिदिन कमाता है। प्रार्थी ने अपने पति का मोबाईल नम्बर याद होने से इंकार किया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसका पति दूसरों के यहाँ मजदूरी कर 100-150 रुपये प्रतिदिन कमाता है और अपने माता-पिता का भरण-पोषण करता है। प्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसने अपने पति की आय 1000/- प्रतिदिन होने के संबंध में उसने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने स्पष्ट किया है प्रार्थी का व्यवहार अच्छा नहीं है इसलिए वह उसके साथ नहीं जा सकती है। प्रार्थी ने स्पष्ट किया कि उसने एक महिला को उसके पति के साथ देखा था और उस महिला के कारण उसके पति को मार भी पड़ी थी और उसके पति के घर पर आने पर उसने अपने पति को चोंट देखी थी और उसके कपड़े फटे देखे थे। प्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह बिना कारण से अपनी मर्जी से पृथक रह रही है। प्रार्थी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने अपने पति को किसी अन्य महिला के साथ नहीं देखा था लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि उसके पति के किसी अन्य महिला से गलत संबंध नहीं है अथवा वह अपने पति से अलग रहना चाहती है। इस कारण उस पर मिथ्या आरोप लगा रही है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसका पति 2000/- से 2500/- रुपये प्रतिमाह कमाता है। अतः उसे प्रतिमाह 8000/- रुपये भरण-पोषण देने में सक्षम नहीं है। प्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसने 8000/- रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण की आवश्यकता होने के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है और न ही बिल पेश किया है। प्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने असत्य प्रकरण लगाया है या वह असत्य कथन कर रही है।

10. नसीर मोहम्मद प्रार्थी सा. 2 ने भी प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थी क्रमांक 1 को पेशान करने और प्रतिप्रार्थी द्वारा सट्टा खेलने, अन्य महिलाओं के साथ संबंध होने के संबंध में कथन किये है। साक्षी का यह भी कथन है कि प्रतिप्रार्थी का अंजड़ में किसी महिला के साथ संबंध था और उस महिला के द्वारा प्रतिप्रार्थी के साथ मारपीट हुई थी और बाद में प्रतिप्रार्थी को उनके घर छोड़ा गया। साक्षी का यह भी कथन है कि प्रतिप्रार्थी रेडिमेट कपड़े का व्यापारी है और हाट बाजार में कपड़े बैच कर प्रतिदिन 1000/- रुपये की आय अर्जित करता है। प्रार्थी क्रमांक 1 कुछ कार्य नहीं करती है। प्रार्थी क्रमांक 1 का भाई मजदूरी करता है और उसके पिता पेशार है। प्रार्थीगण व उनके भरण-पोषण में प्रतिमाह 5000/- रुपये खर्च हो जाते हैं। प्रतिप्रार्थी ने उनके सोने के आभूषण भी बेच दिये है।

11. प्रार्थी साक्षी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रार्थी क्रमांक 1 कक्षा 12 वी तक पढ़ी है और प्रतिप्रार्थी कहा तक पढ़ा लिखा है उसकी उसे जानकारी नहीं है। उसे प्रार्थी क्रमांक 1 ने बताया था कि प्रतिप्रार्थी क्रिकेट का सट्टा खेलता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रतिप्रार्थी कई स्थानों के हाट बाजार में कपड़े बैचता है, जिनमें राजपुर, जुलवानिया बड़वानी आदि। प्रतिप्रार्थी टेंट लगाकर जमीन पर चादर बिछाकर कपड़े बैचने की दुकान लगाता है। प्रतिप्रार्थी के घर में जरूरत का सारा सामन है, जैसे टी. व्ही. फ्रीज, गैस चूल्हा, अलमारी, सौफा सेट बिस्तर, कूलर मोटरसाईकिल, सिलाई मशीन तथा प्रतिप्रार्थी के व्यापार का बहुत सारा कपड़ा भी रहता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह प्रतिप्रार्थी के रिश्तेदारों को जानता है, लेकिन साक्षी इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी के रिश्तेदारों ने उसे बताया था कि प्रार्थी क्रमांक 1 ससुराल में छोटी-छोटी बातों पर विवाद करती है। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थी क्रमांक 1 को घर वापस लाने के लिए महिला परामर्श केन्द्र बड़वानी का सूचना पत्र मिला था उसके बाद भी वे लोग वहाँ नहीं गये। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी द्वारा हाट बाजार में दुकान लगाने के संबंध में कोई दस्तावेज उन्होंने पेश नहीं किये है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने प्रतिप्रार्थी को दुकान लगतो हुए देखा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रार्थी क्रमांक 1 से विवाह के बाद प्रतिप्रार्थी उसे लेकर पाण्डला गुजरात नौकरी के लिए गया था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि प्रार्थी क्रमांक 1 ने उसे बताया था कि प्रतिप्रार्थी मिल में नौकरी करके प्रतिमाह 20,000/- रुपये कमाता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी दूसरों के यहाँ मजदूरी करके अपना एवं अपने माता-पिता का भरण-पोषण करता है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि प्रतिप्रार्थी घर से सक्षम है और उसके चार मकान है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी प्रतिदिन रुपये 1000/- नहीं कमाता है अथवा प्रार्थीगण को इतने भरण-पोषण की आवश्यकता नहीं है अथवा प्रार्थी क्रमांक 1 सिलाई-कढ़ाई करके अपना भरण-पोषण करती है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

12. इस प्रकार प्रतिपरीक्षण के दौरान भी प्रार्थी एवं उसके साक्षी इस बिन्दु पर कोई खण्डन नहीं हुआ कि प्रार्थीगण स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम है अथवा प्रतिप्रार्थी प्रार्थीगण का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है।

13. सरफराज प्रति. सा. 1 का कथन है कि प्रार्थी क्रमांक 1 उसे पसंद नहीं करती है और उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। विवाद के एक-दो माह बाद प्रार्थी क्रमांक 1 को लेकर गुजरात गया था। प्रार्थी क्रमांक 1 सिलाई करती है और प्रतिदिन लगभग 200/- रुपये आय अर्जित करती है। प्रार्थी क्रमांक 1 कक्षा 12 वीं तक पढ़ी-लिखी है तथा वह कक्षा 6 टी तक पढ़ा है। उसे प्रति सप्ताह केवल 700/- रुपये की आय प्राप्त होती है। उसका गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड बना है और उसका ईलाज शासकीय चिकित्सालय में दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत होता है। प्रार्थीगण पिछले 2 वर्षों से उससे अलग रह रहे हैं। उसने प्रार्थीगण को वापस लाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय बड़वानी में आवेदन दिया था और महिला हेल्प लाईन में भी आवेदन दिया था। प्रार्थीगण को अलग से भरण-पोषण रुपये 5000/- देने में सक्षम नहीं है। प्रार्थी क्रमांक 1 उसे पसंद नहीं करती है इसलिए उससे अलग रह रही है।

14. प्रार्थीगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह स्वस्थ है, लेकिन पेट में दर्द बना रहता है, उसने अपने पेट का ईलाज गुजरात एवं बड़ोदा में करवाया है, उसके पेट के दर्द में प्रतिदिन लगभग रुपये 5 से 10 खर्च होते हैं। प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसके राशन कार्ड प्रदर्शडी 1 में आश्रितों के रूप में प्रार्थीगण का नाम लिखा है, लेकिन उसके माता-पिता का नाम नहीं लिखा है तथा उसके माता-पिता एवं भाईयों का राशन कार्ड अलग-अलग बना है। प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि वह बाजार हाट में दुकान लगाकर कपड़े बैचने का कार्य करता है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि दुकान उसके स्वयं की है अथवा वह प्रतिमाह 30 से 35 हजार रुपये कमाता है। प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसने प्रार्थी क्रमांक 1 को शरीयत के अनुसार दिनांक 21 मार्च 2014 को तीन बार तलाक दे दिया है, क्योंकि उसे आशंका थी कि प्रार्थी क्रमांक 1 उस पर आरोप लगाकर वापस नहीं आयेगी। प्रतिप्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपने जवाब में प्रार्थी क्रमांक 1 को तलाक देने की बात नहीं लिखाई थी। प्रतिप्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसकी बुरी आदतों और अय्यासी के कारण प्रार्थीगण उसे छोड़कर चली गई अथवा उसने प्रार्थीगण के आभूषण बैच दिये थे। प्रतिप्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसकी बुरी आदतों के कारण उसे अंजड़ में लोगों ने मारा था। प्रतिप्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह प्रार्थीगण को 8000/- रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने में सक्षम है अथवा वह भरण-पोषण देने के लिए बचने से प्रार्थी क्रमांक 1 द्वारा सिलाई करने की बात असत्य बता रहा है।

15. मोहम्मद रफीक प्रति सा. 2 का कथन है कि प्रतिप्रार्थी उसका पुत्र है। प्रार्थी क्रमांक 1 उसकी बहू है। उसने अपने पुत्र और बहू को काम-व्यवसाय के लिए गुजरात भेज दिया था जहाँ पर वह लगभग 1 वर्ष तक रहे थे। प्रार्थी क्रमांक 1 पिछले ढेड़ वर्षों से मायके अंजड़ में रूकी हुई है, क्योंकि प्रार्थी क्रमांक 1 को राजपुर में अच्छा नहीं लगता है। उसका पुत्र पहले सिलाई का काम करता था। उसका पुत्र वर्तमान में मालेगाँव महाराष्ट्र में कपड़े की दुकान पर काम करके रुपये 1500/- प्रति सप्ताह की आय अर्जित करता है और वह प्रार्थीगण को रुपये 8000/- रुपये भरण-पोषण देने में सक्षम है। प्रतिप्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका पुत्र हाट बाजार में कपड़े बैचने जाता था और प्रतिदिन 200-300 रुपये आय अर्जित करता था। उसका पुत्र सिलाई करके एक दिन में रुपये 100/- की आय अर्जित करता था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसका पुत्र अय्यासी करता था और क्रिकेट का सट्टा भी खेलता था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी क्रमांक 1 के आभूषण बैच दिये थे अथवा प्रतिप्रार्थी की बुरी आदतों के कारण प्रार्थीगण अंजड़ आकर रहने लगे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी प्रार्थीगण का ध्यान नहीं रखता था अथवा कपड़े विक्रय करके 1000 से 1500 रुपये आय अर्जित करता था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसे अन्य व्यक्ति ने बताया कि प्रतिप्रार्थी मालेगाँव में एक दुकान पर कार्य करके प्रतिमाह रुपये 6000/- की आय अर्जित कर रहा है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रहा है।

16. इस प्रकार उभयपक्षों की साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिप्रार्थी द्वारा किये जा रहे बुरे व्यवहार और उसके बुरे आचरण के कारण प्रार्थी क्रमांक 1 प्रतिप्रार्थी से पृथक निवास कर रही है जो कि प्रार्थी क्रमांक 1 की प्रतिप्रार्थी से पृथक रहने का पर्याप्त कारण है। अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी क्रमांक 1 को तलाक देना भी स्वीकार किया है। इस प्रकार विवाद विच्छेद के कारण भी प्रार्थी क्रमांक 1 को प्रतिप्रार्थी से पृथक रहने का पर्याप्त कारण है। यद्यपि प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी क्रमांक 1 को सिलाई करके अपना भरण-पोषण करने में सक्षम होना बताया है, लेकिन इस संबंध में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे यह प्रमाणित हो, जिससे प्रार्थी क्रमांक 1 स्वयं का या प्रार्थी क्रमांक 2 का भी भरण-पोषण करने में सक्षम है। प्रतिप्रार्थी ने स्वयं की आय प्रतिदिन 100/- रुपये होना बताया है, लेकिन प्रतिप्रार्थी के पिता मोहम्मद रफीक प्रति. सा. 2 ने प्रतिप्रार्थी की आय प्रतिमाह रुपये 6000/- होना स्वीकार किया है तथा साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अपना एवं अपनी पत्नी का भरण-पोषण स्वयं करता है। ऐसी स्थिति में प्रतिप्रार्थी प्रार्थी क्रमांक 1 जो कि उसकी पूर्व पत्नी है तथा प्रार्थी क्रमांक 2 जो कि उसकी पुत्री है का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधनों वाला तथा एक सक्षम व्यक्ति होना प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण प्रतिप्रार्थी से प्रतिमाह भरण-पोषण की राशि प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत होते हैं। उभयपक्षों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को तथा प्रतिप्रार्थी की आय को देखते हुए प्रतिप्रार्थी से प्रार्थीगण रुपये 1500/-, -1500/- इस प्रकार कुल 3000/- रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण पाने के अधिकारी प्रतीत होते हैं।

17. अतः प्रार्थीगण का आवेदन द.प्र.स. की धारा 125 स्वीकार करते हुए प्रतिप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी क्रमांक 1 का पुनर्विवाह होने तक प्रार्थी क्रमांक 1 को प्रतिमाह 1500/— रुपये तथा प्रार्थी क्रमांक 2 को वयस्क या विवाह होने तक रुपये 1500/— प्रतिमाह भरण-पोषण अदा करेगा। इस प्रकार कुल 3000/— रुपये भरण-पोषण राशि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अदा करे या न्यायालय में जमा करे। चूँकि प्रार्थी क्रमांक 2 अवयस्क होकर प्रार्थी क्रमांक 1 के साथ निवास कर रही है इसलिए प्रार्थी क्रमांक 2 की उक्त राशि प्रार्थी क्रमांक 1 पाने की अधिकारी है।

18. धारा 128 द.प्र.सं. के अंतर्गत इस आदेश की एक प्रतिलिपि आवेदिका को निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जाए।

19. प्रार्थीगण का आवेदन का व्यय भी प्रतिप्रार्थी वहन करेगा, जो 2000/—(दो हजार मात्र) रुपये निर्धारित किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी